

प्रेषक,

अनीता सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 02 नवम्बर, 2018

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैम एवं हेडर का निर्माण (नाबार्ड पोषित) के अन्तर्गत बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-520/ल0सिं0/बजट-आर0आई0डी0एफ0/2018-19, दिनांक 02.08.2018 एवं संख्या-773/ल0सिं0/बजट-आर0आई0डी0एफ0/2018-19, दिनांक 09.10.2018 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैम एवं हेडर का निर्माण (नाबार्ड पोषित) हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0-71.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-71.00 (रू0-इकहत्तर लाख मात्र) को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग एवं हेडर का निर्माण (नाबार्ड पोषित) पर किया जायेगा।
- (2) अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाये, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अन्य किसी मद/योजना में कदापि न किया जाय तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में शासनादेश संख्या-1625/62-2-2015-2/2(3)/2015, दिनांक 04.08.2015, संख्या-1322/62-2-2015-/2(18)/2004 टी0 सी0-16, दिनांक 13.08.2015 तथा संख्या-3253/62-2-2015-2/2(18)/2004 टी0 सी0-8, दिनांक 13.08.2015 एवं संख्या-614/62-2-2016-2/2(18)/2004 टी0सी0-12, दिनांक 05.03.2016 द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) निर्माण कार्यों के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यह योजना आर0आई0डी0एफ0 से स्वीकृत है।
- (7) किसी भी दशा में अवमुक्त धनराशि से अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थायी नियमों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।
- | | | |
|----|---|---------------|
| 1- | मासिक व्यय विवरण आगामी माह की | 05 तारीख तक |
| 2- | व्ययाधिक्य तथा बचत का अंतिम विवरण | 15.12.2018 तक |
| 3- | वर्ष 2018-19 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो | 15.02.2019 तक |
| 4- | आवंटन का समर्पण | 15.03.2019 तक |
- नोट:- दिनांक 15.03.2019 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन "लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भूजल-11-ग्राउण्ट वाटर रिचार्जिंग चेकडैम एवं हेडर का निर्माण (नाबार्ड पोषित)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
(अनीता सिंह)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सं0-34/2018/2920(1)/62-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
- 7- संबंधित अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई प्रखण्ड।
- 8- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 9- एन0आई0सी0 की प्रति।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।